216

संख्या–[०१]/XVIII(II)/2012–3(02)2012

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 26 अप्रैल, 2012

विषयः–तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत मौजा बाड़ाहाट स्थित उत्तराखण्ड सरकार के नाम वर्ग 9(3)ड. में दर्ज खसरा सं0–2117 मध्ये रकबा 0.024 है0 भूमि, अल्टरनेटिव डिस्प्युट रेजोलूशन सेन्टर/न्याय सदन के निर्माण हेतु न्याय विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–463/XII–1/1995 दि0–3.10.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत मौजा बाड़ाहाट, मध्ये जिला न्यायालय परिसर के पीछे स्थित उत्तराखण्ड सरकार के नाम वर्ग 9(3)ड. में दर्ज खसरा सं0–2117 मध्ये रकबा 0.024 है0 भूमि जो नगरपालिका परिसर उत्तरकाशी के प्रबंधन में, को अल्टरनेटिव डिस्प्युट रेजोलूशन सेन्टर/न्याय सदन के निर्माण हेतु, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अधीन तथा न्याय विभाग एवं शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के कम में न्याय विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– प्रश्नगत भूमि हस्तांतरण के पूर्व नगरपालिका परिषद से प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया जाएगा।

4– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

—2

7– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

8– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

पृ0प0संख्या– 1017 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।